MR. CHAIRMAN: Subject to correction, the result* of the Division is Ayes 21; Noes 46. The motion is rejected.

The Motion was negatived.

17.22 hrs.

INDIAN SOCIAL DISPARITIES ABOLITION BILL

श्री रूपनाथ सिंह यादव (प्रतापगढ़) : सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं :

> "कि सामाजिक विषमताओं और जातिवाद का उन्मूलन करने तथा हरिजनों, गिरिजनों और अन्य पिछड़े वर्गों के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह बहुत ही राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है । देश के पचास करोड़ हरिजन, गिरिजन, आदिवासी और शूद्र लोगों के उत्थान के लिए जनता पार्टी ने भी अपने मैनिफेस्टो में वायदा किया है । उस वादे के मुताबिक आरक्षण सम्बन्धी कानून बनना चाहिए था, मगर आज तक नहीं हुआ । आरक्षण और विशेष अवसर सम्बन्धी सिद्धान्तों को जनता पार्टी के मेनिफेस्टो और हमारे संविधान में स्वीकार किया गया है । सविधान के आर्टिकल 15(4) में कहा गया है :—

"Nothing in this article or in clause (2) of article 29 shall prevent the State from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes."

सरकारी नौकरियों के सम्बन्ध में आर्टिकल 16(4) में यह प्रावधान है कि इन वर्गों को विशेष अवसर दे कर ही बराबरी के स्तर पर लाया जा सकता है । आर्टिकल 16(4) इस प्रकार है :—

"Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizens which, in the opinion of the State, is not adequately represented in the services under the State."

इस सिद्धान्त के सम्बन्ध में एक आयोग का गठन 29 जनवरी, 1953 में हुआ था, जिसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने नियुक्त किया था । उस की अध्यक्षता विद्वान सज्जन, काका-कालेलकर, ने की थी । उस आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1955 में प्रस्तुत किया । उस आयोग की मुख्य सिफारिशों को जनता पार्टी ने स्वीकार किया है । मैं जनता पार्टी के मेनिफेस्टो के पेज 34 से कोट कर रहा हूं :—

> "जनता पार्टी का मत है कि समाज के इन पिछड़े वर्गों तथा शिक्षा और सम्पन्नता की दृष्टि से उन्नत वर्गों के बीच जो खाई है, उसको शीघ्रता से तभी पाटा जा सकता है, जबकि पिछड़े वर्गों के लिए विशेष व्यवहार की नीति बनाई जाये । अतएव पार्टी इन वर्गों को शिक्षा और रोजगार के विशेष सुयोग देगी । कालेलकर आयोग की

---

*The following Members also recorded their votes for NOES:
Sarvshri Ram Naresh Kushwaha, Mangal Deo and Madhu Limaye.

सिफारिश के अनुसार सरकारी नोकरियां में पिछड़े वर्गों के लिए 25 से ले कर 33 प्रतिशत तक नोकरियों सुरक्षित की जायगी । हरिजनों को मकान बनाने के लिए जमीन दी जायेगी ।"

इस वादे को पूरा करने के सम्बन्ध में मैंने कई ज्ञापन भूतपूर्व गृह मंत्री को भी दिये और प्रधान मंत्री जी को भी दिये ।

2 अक्तूबर, 1977 को एक अखिल भारतीय हरिजन, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हुआ था जिसकी अध्यक्षता श्री धनिकलाल मण्डल, गृह राज्य मंत्री ने की थी तथा प्रधान मंत्री जी ने उसका उदघाटन किया था । वहां पर भी यह आश्वासन मिला था कि पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए, हरिजनों के उत्थान के लिए, माइनारिटीज के उत्थान के लिए आयोग बनेगा । दो आयोग तो गठित हो गए हैं लेकिन पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए, रिजर्वेशन के लिए अभी तक कोई आदेश केन्द्रीय सेवाओं पर लागू नहीं हुए हैं । इसके लिए किसी आयोग की जरूरत नहीं है । मैं ने प्रधान मंत्री जी का ध्यान मेमोरैंडम देकर खींचा था तो आश्वासन भी दिया गया था कि एक कमेटी का गठन किया जा रहा है और उस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद भी इस पर विचार होगा । मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने एक कमेटी एनाउन्स की । मैं चाहूंगा कि चुंकि इस विषय में काफी देर हो चुकी है, 18 महीने बीत चुके हैं इसलिए अब इसमें और देरी नहीं होनी चाहिए । इस संबंध में आश्वासन मिल जाये कि इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार अपनी नीति की घोषणा केन्द्र के लिए कर देगी तो जो एक राष्ट्र व्यापी आन्दोलन छिड़ने वाला है, बिहार में उपद्रव मच रहा है और उत्तर प्रदेश मे हो रहा हैं वह उपद्रव दब जायेंगे ।

इस आरक्षण की नीति को सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकारा है। मैं आपके सामने दो सुप्रीम कोर्ट के जजमेन्टस पेश करूंगा। जब यह बात विधान में है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना है और जनता पार्टी के मेनिफेस्टो में इसको माना गया है उसके बाद भी इसको आजतक लागू नहीं किया गया—इस बात का मुझे दुख है । मैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेन्ट कोट कर रहा हूं जिसमें उन्होंने माना है कि जो सोशली और एजूकेशनली बैकवर्ड है उनके लिए विशेष अवसर का प्रावधान संविधान में है । यह 1968 से ए आई आर पेज 1012 पर है :

"The contention is that the list of the social and educational backward classes for which reservation is made within rule 5 is nothing but a list of certain castes. Therefore, reservation in favour of certiain castes based on caste consideration violates article 15(1) which prohibits discrimination on the basis of caste. But it must not be forgotten that caste is also a class of citizen and if the caste as a whole is socially and educationally backward, reservation can be made in favour of such caste on the ground of it being socially and educationally backward within the meaning of article 15(4)."

इसी प्रकार से एक लेटेस्ट रूलिंग और भी है जो कि सन 1971 की है। जब दक्षिण के राज्यों में रिजर्वेशन किया गया था तब सुप्रीम कोर्ट के सामने यह प्रश्न उठा था कि 50 परसेंट से अधिक रिजर्वेशन हो गया जोकि एक्सेसिव है । उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय देते हुए यह फैसला दिया कि कोई हार्ड

[श्री हरनाथ सिंह यादव]

ऐंड फास्ट रूल नहीं हो सकता है लेकिन साधारणतया 50 परसेंट से नीचे होना चाहिए। यह रूलिंग सन 1971, ए आई आर, पेज 1710 पर है :

"That in adjusting the claim of both the weaker and the stronger elements, the reservation for the former should be ordinarily less than 50 per cent although no flexible percentage could be fixed and the actual reservation must depend upon the relevant prevailing circumstances in each case."

इस तरह की रूलिंग के बाद अब कोई औचित्य नहीं है कि इस देश में इस विवाद को बढ़ाया जाये। इस सम्बन्ध में बिहार के मुख्य मंत्री, श्री कर्पूरी ठाकुर जी ने जो किया है उसके लिए मैं उन्हें बधायी देता हूं। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने एक सर्वमान्य गाइडलाइन भेजी थी कि इस तरह से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए रिजर्वेशन किया जाये और उसी की तहत वहां पर रिजर्वेशन हुआ है। अब उसके लिए कोई आन्दोलन या उपद्रव करना राष्ट्र हित में नहीं है। जो सदियों से दबा और पिछड़ा वर्ग है, जो गरीबी और छूनाछूत से प्रभावित है, जोकि जातपांत के आधार पर पिछड़ गया है--उस वर्ग को उठाने के लिए विशेष अवसर देने ही होंगे। इस सम्बन्ध में डा० राम मनोहर लोहिया जी ने भी कहा था ऐसे वर्गों के लिए 60 फी सकड़ा नौकरियों तथा स्कूलों में आरक्षण देना चाहिए।

काका कालेलकर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में तीन मुख्य सिफारिशें की हैं। पहली सिफारिश यह है कि सभी व्यावसयिक कालेज, जैसे चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कृषि एवं प्राद्योगिकी कालेजों तथा केन्द्रीय स्कूलों में हरिजन, गिरिजन, अल्पसंख्यक तथा अन्य वर्गों के छात्रों के लिए प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु 70 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये जायें। दूसरी बात उन्होंने यह कही है कि केन्द्रीय तथा राज्य सेवाओं में पिछड़े वर्गों की सीधी भर्ती में स्थानों के आरक्षण के लिए विशेष उपबंध होगा जो वर्ग (1) में 25 प्रतिशत, वर्ग (2) में 33 प्रतिशत, वर्ग (3) में 33 प्रतिशत और वर्ग (4) में 40 प्रतिशत...

सभापति महोदय : अब आप अपना भाषण अगली बार, जब यह विषय आयेगा तब जारी रखियेगा।

अब आधे घंटे की चर्चा प्रारम्भ होगी।

17.30 hrs.

HALF AN-HOUR DISCUSSION

PERSONS LIVING BELOW POVERTY LINE

MR. CHAIRMAN: Now, we take up the Half-an-Hour Discussion. Dr. Laxminarayan Pandey.

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर): सभापति जी, पिछली सरकार के समय में गरीबी हटाने के बारे में वायदे तो बहुत किये गये, आश्वासन भी बहुत दिये गये, लेकिन गरीबी घटी नहीं, बढ़ती चली गई। जहां गरीबी बढ़ी, वहां पर गरीबी की रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्तियों की संख्या भी बढ़ी। अनेक योजनायें बनीं, लेकिन पिछली सरकार के समय में जो योजनायें बनीं, वे सब अव्यावहारिक योजनायें थीं, उन के कार्यान्वयन में भी दोष था और यही कारण था कि हम गरीबी हटाने की बात कहते रहे, परन्तु गरीबी हटी नहीं, बढती चली गई।